क्रमांक 1270-ज(I)-83/39814 —पूर्वी पंजाब युद्ध पुरुस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 2(ए) (1) तथा 3(1) के अनुसार सौंपे गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल, श्री कुड़ाराम, पुत्र श्री मंगल सिंह, गांव भेड़ों, तहसील नारायणगढ़, जिला अम्बाला को रबी, 1976 से खरीफ 1979 तक 150 रुपये वार्षिक तथा रबी 1980 से 300 रुपये वार्षिक कीमत की युद्ध जागीर सनद, में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं।

क्रमांक 851-ज(I)83/39818.—हरियाणा सरकार, राजस्व विभाग द्वारा जारी की गई अ. क्र. 249-ज-I-83/14669, दिनांक 5 मई, 1983 जो हरियाणा सरकार के राजपत्र में दिनांक 24 मई, 1983 को प्रकाशित हुई है, की चौथी लाईन में "खरीफ 1979 से खरीफ 1979 तक" की बजाये "खरीफ 1976 से खरीफ 1979 तक" पढ़ा जाये।

क्रमांक 1116-ज(I)-83/39822.—पूर्वी पंजाब युद्ध पुरुस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 2(ए) (1) तथा 3(1) के अनुसार सौंपे गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल, श्री शर्म सिंह, पुत्र श्री नवाब सिंह, गांव बाखली, तहसील पेहवा, जिला कुरुक्षेत्र को खरीफ 1976 से 150 रुपये वार्षिक रबी, 1977 से खरीफ 1979 तक 200 रुपये वार्षिक तथा रबी 1980 से 350 रुपये वार्षिक कीमत की युद्ध जागीर, सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं।

क्रमांक 1418-ज(II)-83/38899.—श्री राम चन्द्र यादव, पुत्र श्री बोहत राम यादव, गांव सीहमा, तहसील नारनौल, जिला महेन्द्रगढ़ की दिनांक 3 मई, 1983 को हुई मृत्यु के परिणाम स्वरूप, हरियाणा के राज्यपाल, पूर्वी पंजाब युद्ध पुरुस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 4 एवं 2(ए) (1) तथा 3(1) के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री रामचन्द्र यादव की मुबलिग 300 रुपयें वार्षिक की जागीर जो उसे पंजाब/हरियाणा सरकार की अधिसूचना क्रमांक 7435-जे. एन.-III-65/5509, दिनांक 30 अगस्त, 1965, अधिसूचना क्रमांक 5041-आर.-III-70/29505, दिनांक 8 दिसम्बर, 1970 तथा अधिसूचना क्रमांक 1789-जे (I)-79/44040, दिनांक 30 अक्तूबर, 1979 द्वारा मंजूर की गई थी, अब उसकी विधवा श्रीमति बदाम कौर के नाम खरीफ 1983 से 300 रुपये वार्षिक की दर से सनद में दी गई शर्तों के अन्तगर्त प्रदान करते हैं।

क्रमांक 1414-ज-(I)-83/39903.—पूर्वी पंजाब युद्ध पुरुस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 2(ए)(1) तथा 3(1) के अनुसार सौंपे गये अधिकारों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल, श्री करतार सिंह पुत्र श्री काका सिंह, गांव अहमदपुर तहसील नारायणगढ़, जिला अम्बाला को खरीफ, 1976 से खरीफ, 1979 तक 150 रुपये वार्षिक तथा रबी 1980 से 300 रुपये वार्षिक कीमत की युद्ध जागीर, सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं।

क्रमांक 1138-ज(I)-83/39908.—पूर्वी पंजाब युद्ध पुरुस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 2(ए)(1) तथा 3(1) के अनुसार सौंपे गये अधिकारों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल, श्री साधू सिंह, पुत्र श्री बचन सिंह, गांव पंजोड़ी, तहसील नारायणगढ़, जिला अम्बाला को रबी, 1974 से रबी, 1975 तक 150 रुपये वार्षिक, खरीफ 1975 से खरीफ 1979 तक 200 रुपये वार्षिक तथा रबी, 1980 से 350 रुपये वार्षिक कीमत की युद्ध जागीर सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं।

क्रमांक 1211-ज-(I)-83/39912.—पूर्वी पंजाब युद्ध पुरुस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 2(ए) (1ए) तथा 3(1ए) के अनुसार सौंपे गये अधिकारों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल, श्री दलीप सिंह, पुत्र श्री गोपीचन्द, गांव फतहपुर, तहसील कैथल, जिला कुरुक्षेत्र को रबी, 1973 से खरीफ 1979 तक 150 रुपये वार्षिक तथा रबी, 1980 से 400 रुपये वार्षिक कीमत की युद्ध जागीर, सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं।

दिनांक 2 दिसम्बर, 1983

क्रमांक 1357-ज-(II)-83/39970.—पूर्वी पंजाब युद्ध पुरुस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 2(ए)(1) तथा 3(1) के अनुसार सौंपे गये अधिकारों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल श्रीमती सरमा देवी, विधवा श्री भंवर सिंह, गांव धनोन्दा, तहसील व जिला महेन्द्रगढ़ को रबी, 1974 से खरीफ, 1979 तक 150रुपये वार्षिक तथा रबी, 1980 में 300 रुपये वार्षिक कीमत की युद्ध जागीर, सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं।